



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072025-265059
CG-DL-E-29072025-265059

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3411]
No. 3411]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 2025/श्रावण 7, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2025/SHRAVANA 7, 1947

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3494(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 16) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अगस्त 2025 के पहले दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19 और धारा 20 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 7/19/2023-बीओए-1]

आशीष माधवराव मोरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2025

S.O. 3494(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Banking Laws (Amendment) Act, 2025 (16 of 2025), the Central Government hereby appoints the 1st day of August, 2025 as the date on which the provisions of sections 3,4,5,15,16,17,18,19 and 20 of the said Act shall come into force.

[F. No. 7/19/2023-BOA-I]

ASHISH MADHAORAO MORE, Jt. Secy.